भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 520

जिसका उत्तर 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

वाणिज्यिक कोयला खनन

520. श्री ए॰ राजाः
डॉ॰ कलानिधि वीरास्वामीः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में शुरू की गई वाणिज्यिक कोयला खनन की स्थिति क्या है;

(ख) देश में वाणिज्यिक कोयला खनन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने कोयला ब्लॉकों को चिह्नित किया है जिन्हें वाणिज्यिक कोयला खनन में शामिल किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र–वार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) अब तक इन कोयला ब्लॉकों की नीलामी में भाग लेने के लिए रुचि दिखाने वाली कंपनियों की संख्या का ब्यौरा क्या है तथा उक्त नीलामी कब तक होने की संभावना है तथा इसके लिए क्या मापदंड और मानदंड निर्धरित किए गए हो;

(च) क्या सरकार का इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एफडीआई भी शुरू करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या तमिलनाडु सहित कुछ राज्यों में इसका विरोध हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार का क्या रुख है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (छ) : कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 [सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015] तथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 [एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957] के प्रावधानों के तहत कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी की पद्धति को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है और इस संबंध में दिनांक 27.02.2018 को आदेश जारी किया गया है। इस नीति का उद्देश्य कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों की नीलामी हेतु बहु उत्पादकों वाला कोयला बाजार सृजित करना है जिससे खनन और पर्यावरण प्रबंधन में प्रतिस्पर्धा लाई जा सके और बेहतर प्रक्रिया अपनाई जा सके। कोयले की बिक्री के लिए कोयला खानों की पारदर्शी नीलामी से आशा है कि इससे पारदर्शी तरीके से कोयले का मूल्य निर्धारित करने को बढ़ावा मिलेगा जो बाजार की ताकतों पर आधारित होगा। कोयले की बिक्री के लिए

नीलामी हेतु कोयला ब्लॉकों की पहचान की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। इसके अलावा, सरकार ने उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2019 को जारी किए गए प्रेस नोट के माध्यम से कोयला खनन में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति की समीक्षा की है जिसमें कोयले की बिक्री, संबंद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई है जो समय-समय पर संशोधित सीएम (एसपी) अधिनियम, 2015 और एमएम (डीआर) अधिनियम, 1957 के उपबंधों और इस विषय से संबंधित अन्य अधिनियमों के अधीन होगी। संबंद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में कोयला वॉशरी, कोयले की हैंडलिंग और सेपरेशन (मैगनेटिक और नॉन-मैगनेटिक) शामिल हैं। कोयले की बिक्री के लिए संबंद्ध प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कोयला खनन संबंधी क्रियाकलापों के लिए 100% एफडीआई की अनुमति से आशा है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आकर्षित होंगी और दक्षतापूर्ण तथा प्रतिस्पर्धात्मक कोयला बाजार तैयार होगा।

*****